

## --:आदेश:-

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारों में निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

1. जयलाल पिता दामाराम मीना निवासी जहाजपुर  
आ0नं0 रकबा  
2532/3 0.07  
कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.07 हे0
2. दौलतराम पिता श्रीराम भील निवासी सुरजपुरा  
आ0नं0 रकबा  
2532/5 0.03  
2532/8 0.08  
कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.11 हे0
3. नारायण पिता रामा भील निवासी सुरजपुरा  
आ0नं0 रकबा  
2532/6 0.11  
कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.11 हे0
4. भगवान पिता लोभा भील निवासी नान्दशा  
आ0नं0 रकबा  
2532/1 0.07  
कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.07 हे0
5. कालु पिता ओगड़ भील निवासी झीलवाड़ा तह0 कुम्भलगढ़  
आ0नं0 रकबा  
2532/7 0.27  
कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.27 हे0
6. अम्बा लाल, बालुराम, तुलसीराम, हरिशंकर, कैलाश, घनश्याम, कमला देवी  
पित गुलाब, सायरी बेवा गुलाब भील सा0 देह0  
आ0नं0 रकबा  
2532/4 0.15  
कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.15 हे0

सी

राजेश कुमार

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



अ

(चन्द्रशेखर भण्डारी)

सहायक कलेक्टर  
(उपरखण्ड अधिकारी)

गुवाण्डा (राज.)



